


०५/०२/२०२३

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी का नाम झूथा पुत्र मुरली दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम जगपाल पुत्र मूलचन्द है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार प्रार्थी का बोलता नाम झूथा पुत्र मुरली गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मार्कशीट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स, की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी का सही नाम जगपाल पुत्र मूलचन्द दर्ज है। व प्रार्थना पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत सिरोही का प्रमाण पत्र, बतौर साक्ष्य स्वयं प्रार्थी का तथा बतौर गवाह सहखातेदार धूडाराम का लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम झूथा पुत्र मुरली गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम जगपाल पुत्र मूलचन्द है की पुष्टि मार्कशीट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स की प्रतियों से होती है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत सिरोही के प्रमाण पत्र, बतौर साक्ष्य स्वयं प्रार्थी के तथा बतौर गवाह सहखातेदार धूडाराम के लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।


(बृजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
नीमकाथाना (सांकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
सिरोही	खाता सं0 185	झूथा पुत्र मुरली	जगपाल पुत्र मूलचन्द

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फंसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

